

59

सि.प्र. 3167-146



1. तुलसी प्रसाद पाण्डेय तनय लोलर प्रसाद पाण्डेय उम्र 61 वर्ष पेशा बकालत निवासी ग्राम कोतरकला बनिया कालोनी सीधी जिला सीधी (म.प्र.)

—पुनरीक्षणकर्ता

दिनांक 16.9.16 को
श्री इन्द्रा के
काम के अंतर्गत
बनाम
16.9.16

1. देवी चरण शर्मा तनय स्व.इन्द्रपति राम ब्राम्हण उम्र 65 वर्ष सेवा निवृत्त लिपिक पेशा खेती
 2. रामलखन गुप्ता तनय नमोनारायण गुप्ता उम्र 70 वर्ष पेशा खेती
 3. प्रेमलाल तनय नमोनारायण गुप्ता उम्र 65 वर्ष पेशा खेती
 4. रामस्वरूप गुप्ता तनय नमोनारायण गुप्ता उम्र 62 वर्ष पेशा खेती
 5. म.पार्वती गुप्ता पत्नी स्व.हीरामणि गुप्ता उम्र 75 वर्ष पेशा गृहकार्य
 6. जय प्रकाश बानी तनय स्व.हीरामणि गुप्ता उम्र 55 वर्ष पेशा खेती
 7. प्रवीण बानी तनय स्व.हीरामणि गुप्ता उम्र 45 वर्ष पेशा खेती
 8. प्रदीप बानी तनय स्व.हीरामणि बानी उम्र 35 वर्ष पेशा खेती
- सभी निवासी ग्राम कोतरकला तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)

—गैर पुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार
तहसील गोपदबनास जिला सीधी के राजस्व
प्रकरण क्रमांक 17/अ-6/2015-16 आदेश
दिनांक 07.09.16

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

मान्यवर
१६/९/१६

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.16 विधि प्रक्रिया तथ्य व सहज न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3167-दो/2016

जिला - सीधी

तुलसी प्रसाद पाण्डेय

विरुद्ध

देवी चरण शर्मा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
01-3-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री एस0के0 अवस्थी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार तहसील गोपदबनास जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 17/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 07-9-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 2-5-2019 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p><i>hjn</i> सदस्य 01.3.19</p>